न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 21/2024
(GCMS 2024/35)(212244594865661)

श्री कन्हैया लाल गेदर पुत्र श्री अर्जुन राम गेदर निवासी फर्नीचर हाउस, नजदीक टाईनी टॉटस स्कूल, श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 94132-89213)

<u>बनाम</u>

उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर

<u>09.04.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री कन्हैया लाल स्वयं उपस्थित हुए। अपीलार्थी को सुना गया।

अपीलार्थी ने कथन किया कि उसने उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.02.2024 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो उसके स्वयं के परिवाद में अपना पक्ष रखने के लिए उसे उपलब्ध होना जरूरी है फिर भी लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी कन्हैया लाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.02.2024 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर से निम्न तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

मेरे द्वारा टीबी अस्पताल, श्रीगंगानगर के संविदा कार्मिक श्री जगदीश इन्दलिया द्वारा आदर्श आचार संहिता के संहिता के उल्लंघन सम्बन्धित जानकारी श्रीमान् जिला निर्वान अधिकारी, श्रीगंगानगर को उपलब्ध करवाई गई थी। श्री जगदीश [illegible] द्वारा मेरे द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी को [illegible] देते हुये शिकायत प्रस्तुत की है। मेरे द्वारा [illegible] के समक्ष रखने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत उपलब्ध करवाने की कृपा करें :

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:20:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

1. कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी (एस.डी.एम.) श्री करणपुर के पत्रांक चुनाव/2023/2399 दिनांक 24.12.2023 की प्रमाणित प्रतिलिपि मय संलग्न जांच रिपोर्ट एवं श्री जगदीश इन्दलिया के लिखित बयान की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी (एस.डी.एम.) श्री करणपुर के पत्रांक चुनाव/2023/2578 दिनांक 27.12.2023 की प्रमाणित प्रतिलिपि मय संलग्न जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी (एस.डी.एम.) श्री करणपुर के पत्रांक चुनाव/2023/2580 दिनांक 28.12.2023 की प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अपने पत्रांक आरटीआई/2024/39 दिनांक 03.04.2024 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि प्रार्थी श्री कन्हैयालाल गेदर द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन अपील पत्र व आवेदन पत्र में चाही गई सूचना तृतीय पक्ष से सम्बन्धित होने के कारण प्रार्थना पत्र कार्यालय हाजा के पत्रांक स्था/24/159 दिनांक 13.03.2024 व स्था/24/167 दिनांक 13.03.2024 द्वारा (प्रति संलग्न) अस्वीकार किया गया। सूचना श्रीमान्जी के समक्ष आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

-sd-
(श्योराम आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:20:21 IST
Reason: SelfAttested

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने उक्तानुसार अपील का जवाब प्रेषित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की** कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा अपील का दिया गया जवाब सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:20:21 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 09.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर